न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/36/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री गजानन्द पुत्र श्री जोरावरसिंह निवासी—कोलीला सांगा, तह0 नीमराणा जिला—अलवर (राज0)		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराणा (अलवर)

प्रवेश तिथि : 06.02.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.03.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 29.11.2017 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला—अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में उनके कार्यालय को प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 30.10.17 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत 05 बिन्दुओं पर विविध सूचनाओं की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 29.11.2017 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रा0पत्र दिनांकः 24.01.2018 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1881—82 दिनांकः 06.02.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 20.02.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 1929—30 दिनांकः 27.02.18 एवं पत्रांकः 1933—34 दिनांकः 05.03.18 के माध्यम से स्मरण—पत्र जारी कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः आर.टी.आई./2018/1988 दिनांकः 12.03.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमराणा (अलवर) द्वारा उक्त प्रा0पत्र दि0 29.11.17 में वर्णित पूर्व शिकायत प्रा0पत्र दि0 31.10.17, कार्यालय पत्र सं0 874 दि0 01.11.17 के माध्यम से तहसीलदार/विकास अधिकारी नीमराना को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाना अंकित किया है एवं इसके पश्चात् प्रस्तुत आर.टी.आई. प्रा0पत्र विकास अधिकारी/तहसीलदार नीमराना को अन्तरण किया जाना अवगत कराया गया है एवं प्रकरण में वांछित कार्यवाही आबादी भूमि से संबंधित होने के कारण विकास अधिकारी पं.स. नीमराना के स्तर पर होना अंकन किया है।''
8. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस/स्मरण—पत्रों के परिप्रेक्ष्य में उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया गया है किन्तु प्रकरण में अपीलार्थी को समय—समय पर प्रेषित

दस्तावेज/प्रा0पत्र अन्तरण/सूचना के प्रेषण बाबत प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं। जिससे यह आंकलन नहीं किया जा सकता कि अमुक कार्य उक्त अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समयावधि में एवम् सटीक तौर पर निष्पादित किया गया हो।

9. अतः उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रा.पत्र दि0 29.11.17 में वांछित बिन्दुवार सूचना संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर अधिनियम के प्रावधानानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर जवाब अविलम्ब प्रेषित किये जावें।

10. अतः उक्त आलोक में अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

20.3.18

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजस्थान सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर